



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) Ph.: 0141-2706550

क्रमांक : एफ.1( ) प्रशा./आकाशि/2023/6666

दिनांक : 07-12-2023

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय  
राजस्थान।

विषय : विभागीय पदोन्नति के सम्बन्ध में सूचना भिजवाने बाबत।  
संदर्भ : कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं. एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक : 16-03-2023 के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक विभाग की संदर्भित अधिसूचना (प्रति संलग्न) द्वारा नियमों में संशोधन करते हुए जिन कार्मिकों के 1 जून 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानों के कारण नियमानुसार पूर्व में दण्ड का प्रभाव दिया गया है या उनकी पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था, उन कार्मिकों की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उनकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा।

अतः आपके महाविद्यालय/कार्यालय में पदस्थापित/सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिकों की सूचना (विभाग में प्रथम नियुक्ति आदेश एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति, निर्धारित प्रारूप में संतान घोषणा, दो से अधिक संतान के कारण जिस पद की पदोन्नति में जिस वर्ष दण्ड दिया गया उसका विवरण, यदि दण्ड के प्रभाव उपरांत सम्बन्धित कार्मिक को कोई पदोन्नति दी गई हो तो ऐसी सभी पदोन्नतियों के आदेशों की प्रति) सम्बन्धित कार्मिक से प्राप्त कर प्रमाण सहित 22 दिसम्बर, 2023 तक ई-डाक के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरर्त्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। नियत तिथि उपरान्त प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन/सूचना पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा प्राप्त अभ्यावेदन/सूचनाओं पर विचार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

संलग्न:- संतान घोषणा का प्रारूप।



(प्रो. अनिल कुमार यादव)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

दिनांक : 07-12-2023

क्रमांक : एफ.1( ) प्रशा./आकाशि/2023/6666  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
02. स्थापना शाखा आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
03. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
04. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
05. सम्बन्धित कार्मिकों को पालनार्थ।
06. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ7(1) (डी.ओ.पी.)क-2/95 दिनांक  
20.5.2001 के काम में कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली घोषणा

मैं ..... पद ..... कार्यालय .....  
एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि:-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या..... थी।

क्र.सं.	नाम	जन्म दिनांक

1. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

या

- दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। व  
वर्तमान में बच्चों (पुत्र व पुत्री) की कुल संख्या..... हैं।

क्र.सं.	नाम	जन्म दिनांक

हस्ताक्षर:-

स्थान:-

दिनांक:-

नाम.....

पद.....

विभाग.....

नोट - जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये  
(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर के)